संख्याः 942 /XV-1/ 1(31)/17

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2017

विषयः अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1523/नि०–5/एक(32)/अहिल्याबाई होल्कर/2017–18 दिनांक 17 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में कुल प्राविधानित धनराशि ₹ 182.16 लाख (एक करोड़ बयासी लाख सोलह हजार मात्र) के सापेक्ष योजनान्तर्गत ₹ 182.03 लाख (एक करोड़ बयासी लाख तीन हजार) की धनराशि आपके निर्यतन पर निम्नलिखित मदों में उल्लिखित विवरणानुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	मद नाम	आय–व्यय में प्रावधानित धनराशि	आवंटित धनराशि
1	12–कार्यालय फर्नीचर उपकरण संयंत्र	0.15	0.15
2	16–व्यावसायिक सेवा शुल्क	1.00	1.00
3	42– अन्य व्यय	0.50	0.50
4.	46–कम्प्यूटर क्रय	0.01	0.01
5	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
6	50–सब्सिडी	180.00	179.87
योग		182.16	182.03

1 अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजना के संचालन हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान आदि के संबंध में पशुपालन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–182/XV-1/15/1(1)/14 दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा निर्धारित प्राविधान/दिशा–निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इससे इत्तर स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2 धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3 धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4 बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय।
6. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन करते हुए आवयकतानुसार तथा मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान,अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार,उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
8. स्वीकृत /आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग व दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद में आवंटित की जा रही है साथ ही स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–8 अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–104–भेड़ एवं ऊन विकास–04–अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना के सुसंगत मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 942 (1)/ XV-1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, अल्मोडा, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकार,अल्मोडा, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
6. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजेन्द्र सिंह पुण्डीर)
उप सचिव